

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
 पीठासीन अधिकारी:- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 54/2017

जीसीएमएस नम्बर :- 2017/00079

1. विरेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. सुनिता पत्नी विरेन्द्र कुमार जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. सुमन उर्फ बाला पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र जरिये संरक्षक माता सुमन उर्फ बाला जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. कविता पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. बाला पुत्री रघुवीर जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. सरोज पुत्री रघुवीर जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. मंजू पुत्री रघुवीर जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

..... वादीगण

बनाम



1. सम्पत पुत्र कालु जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
2. हनुमान पुत्र मोहर सिंह जाति राजपुत नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. श्रीचंद पुत्र छाजूराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. कौशल्या पत्नी ख्यालीराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. बाबुलाल पुत्र ख्यालीराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
6. होि ग्यार पुत्र ख्यालीराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
7. मनोज पुत्र ख्यालीराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. सुनिल पुत्र ख्यालीराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
9. भयोनारायण पुत्र छाजुराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
10. छोलाराम पुत्र छाजुराम जाति अहीर नि0 बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

..... प्रतिवादीगण

(सुनील कुमार चौहान)
 उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 जिला झुंझुनू (राज.)

दावा खाता विभाजन

-: निर्णय :-

दिनांक:- 10.10.22

वादीगण की और से वाद पत्र निम्न प्रकार सेवा में पेश है :-

1. यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 525 के ख0 न0 177 रकबा 1.32 है0 मे वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार काश्तकार है जिसमे वादी सं0 1 का हिस्सा 0.255 है0 व वादी सं0 2 का हिस्सा 0.135 है0 वादी सं0 3 व 4 का हिस्सा 0.17 है0 व प्रति0 सं0 1 का हिस्सा 0.37 है0 व प्रति0 सं0 2 का हिस्सा 0.29 है0 दर्ज है।
2. यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं 591 के ख0 न0 113/3 रकबा 1.82 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.82 है0 मे वादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 व वादी सं0 3 ल0 5 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड खातेदार का तकार दर्ज है।
3. यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 170 के ख0 न0 114 रकबा 0.48 है0 ख0 न0 183 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.45 है0 वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार दर्ज है। जिसमे वादी सं0 1 का हिस्सा 1/5 वादी सं0 3 ल0 5 का हिस्सा 1/5 वादी सं0 6 ल0 8 का हिस्सा 3/5 दर्ज रिकार्ड खातेदार का तकार है।
4. यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 189 के ख0 न0 174 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 184 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 मे वादी सं0 2 का हिस्सा 1/3 वादी सं0 3 का हिस्सा 1/6 व प्रति0 सं0 2 का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड खातेदार का तकार है।
5. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है।
6. यह कि वादी सं0 3 के वाद पत्र के खण्ड सं0 1 व 4 में दर्ज भूमि में सुमन पत्नी सुरेन्द्र सिंह दर्ज है जबकि वाद पत्र के खण्ड सं0 2 व 3 में सुमन उर्फ बाला पत्नी सुरेन्द्र सिंह है वादी सं0 3 के सम्मत दस्तावेजों मे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र मे भी बाला पत्नी सुरेन्द्र कुमार ही दर्ज है जिसको शुद्ध कर सुमन उर्फ बाला पत्नी सुरेन्द्र सिंह दर्ज किया जावे।
7. यह कि वादीगण को अपनी भूमि मे सुधार व का त करने मे परेशानी होने से प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया।
8. यह कि प्रतिवादी सं0 11 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बृहन्मज
जिला झुंझुनू (राज.)

9. यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान जी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

10. यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

11. यह कि वादी का भापथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

(क) यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 525 के ख0 न0 177 रकबा 1.32 है0 मे वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार का तकार है जिसमें वादी सं0 1 का हिस्सा 0.255 है0 व वादी सं0 2 का हिस्सा 0.135 है0 वादी सं0 3 व 4 का हिस्सा 0.17 है0 व प्रति0 सं0 1 का हिस्सा 0.37 है0 व प्रति0 सं0 2 का हिस्सा 0.29 है0 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(ख) यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं 591 के ख0 न0 113/3 रकबा 1.82 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.82 है0 मे वादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 व वादी सं0 3 ल0 5 का हिस्सा 1/2 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ग) यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 170 के ख0 न0 114 रकबा 0.48 है0 ख0 न0 183 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.45 है0 वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार दर्ज है। जिसमे वादी सं0 1 का हिस्सा 1/5 वादी सं0 3 ल0 5 का हिस्सा 1/5 वादी सं0 6 ल0 8 का हिस्सा 3/5 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(घ) यह कि वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 189 के ख0 न0 174 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 184 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 मे वादी सं0 2 का हिस्सा 1/3 वादी सं0 3 का हिस्सा 1/6 व प्रति0 सं0 2 का हिस्सा 1/2 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल नक्शा ट्रेस, नकल, जमाबंदी सम्वत् 2070-73 पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 02.04.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 16.10.2019 को प्राप्त हुई । वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं । मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे ।

बहस सुनी गई ।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया । अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है ।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादीगण खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है । अतः वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मे स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 525 के ख0 न0 177 रकबा 1.32 है0, खाता सं0 591 के ख0 न0 113/3 रकबा 1.82 है0, खाता सं0 170 के ख0 न0 114 रकबा 0.48 है0 ख0 न0 183 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.45 है0, खाता सं0 189 के ख0 न0 174 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 184 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है । अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है । विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे । रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे । पर्चा डिक्री जारी हो ।



(सुनील कुमार चौहान)

उपरखण्ड अधिकारी एवं

(सुनील कुमार चौहान)

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपरखण्ड अधिकारी बुहाना

निर्णय आज दिनांक 10.10.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाक में से वादीगण इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया ।

(सुनील कुमार चौहान)

उपरखण्ड अधिकारी एवं

(सुनील कुमार चौहान)

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपरखण्ड अधिकारी बुहाना

जिला झुंझुनू (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 54/2017

निर्णय दिनांक:- 10.10.22

विरेन्द्र आदि बनाम सम्पत आदि
दावा बाबत- खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.10.22 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडबर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता सं0 525 के ख0 न0 177 रकबा 1.32 है0, खाता सं 591 के ख0 न0 113/3 रकबा 1.82 है0, खाता सं0 170 के ख0 न0 114 रकबा 0.48 है0 ख0 न0 183 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.45 है0, खाता सं0 189 के ख0 न0 174 रकबा 0.34 है0 ख0 न0 184 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.10.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

जिला झुंझुनू (राज.)

